राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.) डीएलबी/24/3415 दिनांक: 10/09/2024

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं पाटा (जिला-अलवर) के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.) डीएलबी/23/3311-3350 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुबारिकपुर के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत पाटा के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगरपालिका में वार्ड सदस्य समझा जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक पं.10 (न.पा.) (गठन) ( ) (ब.घो.) डीएलबी/23/3311-3350 दिनांक 10.08.2023 को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगरपालिका मुबारिकपुर (जिला-अलवर) के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतें एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा ग्राम पंचायत मुबारिकपुर एवं अन्य राजस्व यथावत कार्यरत रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव,

Signature valid

Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.09.10 [illegible]:57:40 IST
Reason: Approved

क्रमांक:प.10(न.पा.)(गठन)( ) (ब.घो.) डीएलबी/2

aj Ref No.: 10405800

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- 3415 - 3440 दि. 10.09.20

01 निजी सचिव, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।

02. निजी सचिव, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ।

05. संयुक्त सचिव (ओ.पी.बी.) मुख्य मंत्री कार्यालय पत्रांक 50606 दिनांक 05.08.2024 के क्रम में ।

06. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग राज0 जयपुर।

07. सचिव/उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।

08. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज0 विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका मुबारिकपुर के क्षेत्र मे सम्मिलित ग्राम पंचायते एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगे तथा पंचायत मुबारिकपुर यथावत कार्यरत में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायतं क्षेत्र को पंचायत सीमा मे सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे।

09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।

10. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।

11. संभागीय आयुक्त जयपुर राजस्थान ।

12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग राज0 जयपुर/पी.आर. ओ. निदेशालय।

13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज0 राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।

14. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज0 जयपुर।

15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।

16. अधिशाषी अधिकारी नवगठित नगर पालिका मुबारिकपुर जिला अलवर को भेजकर लेख है कि जिला कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करें।

17. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल) निदेशालय ।

18. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत मुबारिकपुर जिला अलवर ।

19. सुरक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Signature valid

Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2024.09.1[illegible] [illegible]:57:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10405800